प्रेषक,

हरीश कुमार
अनु सचिव
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

दिनांक 21/07/2023

संख्या-634/ सत्रह-म-2023-17-1099/1256/2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के संचालन हेतु सहमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-194/ ह0शा0/पी0एम0एम0एस0वाई0/2023 दिनांक 26.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मत्स्य पालन विभाग, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु पूर्व निर्धारित बीमा प्रीमियम रूपये 72.44/- प्रतिव्यक्ति से बढाकर रूपये 95.00/- प्रतिव्यक्ति करते हुए आगामी दो वर्षो (26.07.2023 से 25.07.2025) के लिए प्राप्त अनुमोदन पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निवास करने वाली मछुआ आबादी तथा मात्स्यिकी से जुडे व्यक्तियों को बीमागत आच्छान के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्धारित बीमा प्रीमियम रूपये 72.44/- प्रतिव्यक्ति से बढाकर रूपये 95.00/- प्रतिव्यक्ति इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत योजना का संचालन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by हरीश कुमार
Date: 21-07-2023 15:12:20
Reason: Approved

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

I/353756/2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- उप आयुक्त (मत्स्य पालन) मत्स्य पालन, पशुधन,डेयरी मंत्रालय मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली।

3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड(एन0एफ0डी0बी0) हैदराबाद।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

हरीश कुमार
अनु सचिव।